मूलवाद सं० 806/2020

<u>दिनांक 09–11–2021</u>

पत्रावली पुकार पर पेश। वादीगण विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। प्रतिवादीगण अनुपस्थित। प्रस्तुत वाद वादीगण द्वारा वादपत्र के अन्त मे दर्शित विवादित सम्पत्ति आराजी सं० 105 क रकबा 0.4660 हे० के बावत स्थायी निषेधाज्ञा का आदेश पारित किये जाने के आशय से लाया गया है। पत्रावली वास्ते निस्तारण प्रार्थना पत्र 7 ग नियत है। सामान्य आयुक्त रिपोर्ट 14 ग मय नक्शा व नजरी 15 ग व 16 ग दिनांक 30–09–2021 को प्रतिवादीगण की अनुपस्थिति मे पुष्ट किया जा चुका है। विगत कई तिथियों से प्रतिवादीगण पत्रावली पर उपस्थित नही आ रहे है। वादीगण का कहना है कि प्रतिवादीगण विवादित जमीन पर अविधिक रुप से अतिक्रमण के प्रयास मे है। वादीगण द्वारा प्रार्थना पत्र 7 ग पर स्थायी निषेधाज्ञा का आदेश पारित किये जाने की याचना की गयी। बिना प्रतिवादीगण को सुने प्रार्थना पत्र 7 ग का निस्तारण किया जाना समीचीन नही है।

तथापि वादसंपत्ति के संरक्षण एवं विवाद के विधिपूर्ण निस्तारण हेतु अग्रिम तिथि तक उभयपक्ष को यथास्थिति कायम रखने का आदेश पारित किये जाने का आधार पर्याप्त है।

<u>आदेश</u>

उभयपक्ष को आदेशित किया जाता है कि सामान्य आयुक्त नक्शा 15 ग मे दर्शित विवादित भू–भाग बरंग लाल पर अग्रिम नियत तिथि तक यथास्थिति कायम रखेंगे। पत्रावली वास्ते आपत्ति /निस्तारण 7 ग दिनांक 13–12–2021 को पेश हों।

सिविल जज (जू०डि०)
बांसगाँव, गोरखपुर